राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

फा. सं.13-2/98-अकादमिक- विविध
दिनांक: 15 मार्च 2023

परिपत्र

हमारे दो विद्यार्थियों ने किसी अज्ञात नंबर से कॉल प्राप्त होने के विषय में बताया है, कॉल करने वाला व्यक्ति हमारे परिसर से ही होने का दावा कर रहा है। हम साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं और परिसर के भीतर सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपको निम्नलिखित के बारे में स्मरण कराना चाहते हैं:

1. सलाह दी जाती है कि कृपया अपने किसी भी सहकर्मी को आपत्तिजनक या अनुचित संदेश भेजने से बचें। हम विविधता का सम्मान और आदर करते हैं तथा सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं।

2. हमारे परिसर में एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए, हम आपसे ऑनलाइन या फोन पर संचार करते समय सतर्क और सावधान रहने का आग्रह करते हैं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा न करें जिसकी पहचान के बारे में आप सुनिश्चित नहीं हैं।

3. यदि आपको कोई संदिग्ध कॉल या संदेश प्राप्त होता है, तो कृपया छात्र प्रकोष्ठ या आंतरिक शिकायत समिति को इसकी रिपोर्ट तुरंत करें। हम हर शिकायत को गंभीरता से लेते हैं और अपने समुदाय की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी गहन जांच करते हैं।

किसी भी प्रकार के उत्पीड़न अथवा अनुचित संचार में शामिल पाए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध संस्थान के आचार संहिता के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइए हम सभी अपने परिसर में एक स्वस्थ और सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने की दिशा में काम करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

डी.एस.ठाकुर
15-3.2023
(डॉ. डी.एस. ठाकुर)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

सेवा में,

सभी नीपा कार्मिक / हॉस्टल कार्मिक / शोधार्थी/ परियोजना कार्मिक

प्रतिलिपि प्रेषित:
1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - माननीय कुलपति को सूचनार्थ
2. कुलसचिव के निजी सहायक
3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
4. नैक समन्वयक
5. आईक्यूएसी
6. सिस्टम एनालिस्ट – अनुरोध है कि संस्थान की वेबसाइट में स्टाफ-कॉर्नर पर अपलोड करें